"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 570] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 7 नवम्बर 2014—कार्तिक 16, शक 1936

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ-1-82/2014/18 (1).— छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29-ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डो का आरक्षण) नियम 1994 के नियम 7 के अपेक्षानुसार नगर निगम रायपुर, जिला– रायपुर के आरक्षित वार्डो की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :–

आरक्षित वार्डो की सूची

क्र.	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया)	वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	6	वीरांगना अवंतिबाई वार्ड
		11	दानवीर भामाशाह वार्ड
		12	श. मनमोहन सिंह बक्शी वार्ड
		23	रानी लक्ष्मीबाई वार्ड
		34	गुरूगोविन्द सिंह वार्ड
		48	भगवतीचरण शुक्ला वार्ड
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	3	संत कबीर दास वार्ड
		40	बाबू जगजीवन राम वार्ड
		49	पं. मोतीलाल नेहरू वार्ड

(1)	(2)	(3)	(4)
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	44	गुरू घासीदास वार्ड
		70	संत रविदास वार्ड
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	14	ईश्वरी चरण शुक्ल वार्ड
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	1	वीरसावरकर नगर वार्ड
		9	ठक्कर बापा वार्ड
		20	इंदिरा गांधी वार्ड
		21	रमण मंदिर वार्ड
		31	शंकर नगर वार्ड
		33	लाल बहादुर शास्त्री वार्ड
		43	मदर टेरेसा वार्ड
		45	रानी दुर्गावती वार्ड
		56	डॉ. विपिन विहारी सूर वार्ड
		60	ठाकुर प्यारेलाल वार्ड
		63	श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड
		67	डॉ. खूबचंद बघेल वार्ड
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	13	शहीद भगत सिंह वार्ड
		19	संत रामदास वार्ड
		26	कुशाभाऊ ठाकरे वार्ड
		28	महर्षि वाल्मिकी वार्ड
		51	रविन्द्रनाथ टैगोर वार्ड
		52	चन्द्रशेखर आजाद वार्ड
7.	महिला वर्ग	2	रामकृष्ण परमहंस वार्ड
		7	वीर शिवाजी वार्ड
		8	कन्हैयालाल बाजारी वार्ड
		17	रामसागर पारा वार्ड
		18	सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड
		24	पं. रविशंकर शुक्ल वार्ड
		29	नेताजी सुभाषचंद्र बोस वार्ड
		35	शहीद हेमुकालाणी वार्ड
		36	अब्दुल हमीद वार्ड
		46	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड
		50	शहीद पंकज विक्रम वार्ड
		57	स्वामी विवेकानंद वार्ड
		69	पं. दीनदयाल उपाध्याय वार्ड

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप–सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ–1–82/2014/18 (1).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–1–82/2014/18 (1) दिनांक 07–11–2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप–सचिव.

Naya Raipur, the 7th November 2014

NOTIFICATION

No. F-1-82/2014/18(1).— the list of the Reservation of Wards for Municipal Corporation Raipur, Distt. Raipur is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 mad under section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Muncipalities Act 1961 (No. 37 of 1961), as follows :-

List of the Reserved Wards

Sl. No.	Reservation for Category	Ward No.	Name of the Wards
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Scheduled Caste	6	Virangana Avantibai Ward
		11.	Danveer Bhamashah Ward
		12	Sha. Manmohan Singh Bakshi Ward
		23	Rani Laxmi Bai Ward
		34	Guru Govind Singh Ward
		48	Bhagwaticharan Shukla Ward
2.	Scheduled Caste (Female)	3	Sant Kabirdas Ward
		40	Babu Jagjiwan Ram Ward
		49	Pt. Motilal Nehru Ward
3.	Scheduled Tribes	44	Guru Ghasidas Ward
		70	Sant Ravidas Ward
4.	Scheduled Tribes (Female)	14	Ishwari Charan Shukla Ward
5.	Other Backward Class	1	Veersavarkar Nagar Ward
		9	Thakkar Bapa Ward
		20	Indira Gandhi Ward
		21	Raman Mandir Ward
		31	Shankar Nagar Ward
		33	Lal Bahadur Shastri Ward

(1)	(2)	(3)	(4)
		43	Mother Terasa Ward
		45	Rani Durgawati Ward
		56	Dr. Vipin Bihari Sur Ward
		60	Thakur Pyarelal Ward
		63	Shyama Prasad Mukherjee Ward
		67	Dr. Khoobchand Baghel Ward
6.	Other Backward Class (Female)	13	Shaheed Bhagat Singh Ward
		19	Sant Ramdas Ward
		26	Kushabhau Thakre Ward
		28	Maharshi Valmiki Ward
		51	Ravindranath Taigore Ward
		52	Chandrashekhar Azad Ward
7.	Female	2	Ramkrishan Paramhans Ward
		7	Veer Shivaji Ward
		8	Kanhaiyala Bazari Ward
		17	Ramsagar Para Ward
		18	Sardar Vallabh Bhai Patel Ward
		24	Pt. Ravishankar Shukla Ward
		29	Netaji Subhashchandra Bose Ward
		35	Shaheed Hemukalani Ward
		36	Abdul Hameed Ward
		46	Dr. Rajendra Prasad Ward
		50	Shaheed Pankaj Vikram Ward
		57	Swami Vivekanand Ward
		69	Pt. Deendayal Upadhyay Ward

By order & in the name of Governor of Chhattisgarh,
JITENDRA SHUKLA, Deputy Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ–1–82/2014/18 (2).— छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29–ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डो का आरक्षण) नियम 1994 के नियम 7 के अपेक्षानुसार नगर पालिक निगम वीरगांव, जिला–रायपुर के आरक्षित वार्डो की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :–

आरक्षित वार्डो की सूची

क्र.	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया)	वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	2	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड
		8	हरि ठाकुर वार्ड
		26	शहीद वीरनारायण सिंह वार्ड

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	15	छत्रपति शिवाजी वार्ड
		22	डॉ. राधाकृष्णन वार्ड
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	10	बंजारी माता वार्ड
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	27	जय बुढ़ादेव वार्ड
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	6	शहीद कौशल यादव वार्ड
		11	ठाकुर प्यारेलाल वार्ड
		14	गोवर्धन वार्ड
		18	ठाकुर देव वार्ड
		20	पं. सुन्दरलाल शर्मा वार्ड
		23	संत रविदास वार्ड
		33	डॉ. खूबचंद बघेल वार्ड
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	9	मेटल पार्क वार्ड
		17	संत कबीर वार्ड
		19	माधव राव सप्रे वार्ड
7.	महिला वर्ग	5	राजीव गांधी वार्ड
		12	लाल बहादुर शास्त्री वार्ड
		13	पं. रविशंकर शुक्ल वार्ड
		25	मां परमेश्वरी वार्ड
		28	मौ. अब्दुल रउफ वार्ड
		31	शहीद चन्द्रशेखर आजाद वार्ड
		40	डॉ. रविन्द्रनाथ टैगोर वार्ड

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप–सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ–1–82/2014/18 (2).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–1–82/2014/18 (2) दिनांक 07–11–2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप–सचिव.

Naya Raipur, the 7th November 2014

NOTIFICATION

No. F-1-82/2014/18(2).— the list of the Reservation of Wards for Municipal Corporation Beergaon, Distt. Raipur is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 mad under section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Muncipalities Act 1961 (No. 37 of 1961), as follows :-

List of the Reserved Wards

Sl. No.	Reservation for Category	Ward No.	Name of the Wards
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Scheduled Caste	2	Dr. Rajendra Prasad Ward
		8	Hari Thakur Ward
		26	Shaheed Veernarayan Singh Ward
2.	Scheduled Caste (Female)	15	Chhatrapati Shivaji Ward
		22	Dr. Radhakrishnan Ward
3.	Scheduled Tribes	10	Banjari Mata Ward
4.	Scheduled Tribes (Female)	27	Jai Budhadev Ward
5.	Other Backward Class	6	Shaheed Kaushal Yadav Ward
		11	Thakur Pyarelal Ward
		14	Govardhan Ward
		18	Thakur Dev Ward
		20	Pt. Sunderlal Sharma Ward
		23	Sant Ravidas Ward
		33	Dr. Khoobchand Baghel Ward
6.	Other Backward Class (Female)	9	Metal Park Ward
		17	Sant Kabeerdham Ward
		19	Madhav Rao Sapre Ward
7.	Female	5	Rajiv Gandhi Ward
		12	Lal Bahadur Shastri Ward
		13	Pt. Ravishankar Shukla Ward
		25	Maa Parameshwari Ward
		28	Mou. Abdul Rauf Ward
		31	Shaheed Chandrashekhar Azad Ward
		40	Dr. Ravindranath Taigore Ward

By order & in the name of Governor of Chhattisgarh,
JITENDRA SHUKLA, Deputy Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ–1–82/2014/18 (3).— छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29–ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डो का आरक्षण) नियम 1994 के नियम 7 के अपेक्षानुसार नगर पालिका गोबरानवापारा, जिला– रायपुर के आरक्षित वार्डो की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :–

आरक्षित वार्डो की सूची

क्र.	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया)	वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	7	विवेकानंद वार्ड
		8	घासीदास वार्ड
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	9	नेहरू वार्ड
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	16	रविदास वार्ड
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	–	निरंक
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	4	इंदिरा गांधी वार्ड
		10	राजीव लोचन वार्ड
		17	भीखमचंद वार्ड
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	1	कचना घुरवा वार्ड
		2	तिलक वार्ड
7.	महिला वर्ग	3	भगत सिंह वार्ड
		12	श्रीराम वार्ड
		15	कुलेश्वर वार्ड
		19	शीतला वार्ड

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप–सचिव.

—

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ–1–82/2014/18 (3).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–1–82/2014/18 (3) दिनांक 07–11–2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप–सचिव.

Naya Raipur, the 7th November 2014

NOTIFICATION

No. F-1-82/2014/18(3).— the list of the Reservation of Wards for Municipal Council Gobaranawapara, Distt. Raipur is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 mad under section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Muncipalities Act 1961 (No. 37 of 1961), as follows :-

List of the Reserved Wards

Sl. No.	Reservation for Category	Ward No.	Name of the Wards
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Scheduled Caste	7	Vivekanand Ward
		8	Ghasidas Ward
2.	Scheduled Caste (Female)	9	Nehru Ward
3.	Scheduled Tribes	16	Ravidas Ward
4.	Scheduled Tribes (Female)	-	Nil
5.	Other Backward Class	4	Indira Gandhi Ward
		10	Rajeev Lochan Ward
		17	Bhikhamchand Ward
6.	Other Backward Class (Female)	1	Kachana Ghurva Ward
		2	Tilak Ward
7.	Female	3	Bhagat Singh Ward
		12	Shriram Ward
		15	Kuleshwar Ward
		19	Sheetla Ward

By order & in the name of Governor of Chhattisgarh,
JITENDRA SHUKLA, Deputy Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ–1–82/2014/18 (4).— छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29–ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का

आरक्षण) नियम 1994 के नियम 7 के अपेक्षानुसार नगर पालिका तिल्दानेवरा, जिला– रायपुर के आरक्षित वार्डो की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :–

आरक्षित वार्डो की सूची

क्र.	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया)	वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	4	गुरू घासीदास वार्ड
		14	सुभाष वार्ड
		22	चंद्रशेखर आजाद वार्ड
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	9	गांधी वार्ड
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	2	स्वामी आत्मानंद वार्ड
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	–	निरंक
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	5	गुरूनानक वार्ड
		15	डॉ. खूबचंद बघेल वार्ड
		20	राजेन्द्र वार्ड
		21	मिशन हास्पिटल वार्ड
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	12	बाजारपारा वार्ड
		17	बाल गंगाधर तिलक वार्ड
7.	महिला वर्ग	3	श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड
		10	शीतला पारा वार्ड
		13	झूलेलाल वार्ड
		19	बालाजी वार्ड

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप–सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ-1–82/2014/18 (4).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–1–82/2014/18 (4) दिनांक 07–11–2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप–सचिव.

Naya Raipur, the 7th November 2014

NOTIFICATION

No. F-1-82/2014/18(4).— the list of the Reservation of Wards for Municipal Council Tildanewra, Distt. Raipur is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 mad under section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Muncipalities Act 1961 (No. 37 of 1961), as follows :-

List of the Reserved Wards

Sl. No.	Reservation for Category	Ward No.	Name of the Wards
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Scheduled Caste	4	Guru Ghasidas Ward
		14	Subhash Ward
		22	Chandrashekhar Ward
2.	Scheduled Caste (Female)	9	Gandhi Ward
3.	Scheduled Tribes	2	Swami Aatmanand Ward
4.	Scheduled Tribes (Female)	-	Nil
5.	Other Backward Class	5	Gurunanank Ward
		15	Dr. Khoobchand Baghel Ward
		20	Rajendra Ward
		21	Mishan Hospital Ward
6.	Other Backward Class (Female)	12	Bazarpara Ward
		17	Bal Gangadhar Tilak Ward
7.	Female	3	Shyama Prasad Mukharjee Ward
		10	Sheetla Para Ward
		13	Jhulelal Ward
		19	Balaji Ward

By order & in the name of Governor of Chhattisgarh,
JITENDRA SHUKLA, Deputy Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ–1–82/2014/18 (5).— छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29–ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डो का

आरक्षण) नियम 1994 के नियम 7 के अपेक्षानुसार नगर पालिका आरंग, जिला–रायपुर के आरक्षित वार्डो की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :–

आरक्षित वार्डो की सूची

क्र.	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया)	वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	13	अंबेडकर वार्ड
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	–	निरंक
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	–	निरंक
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	–	निरंक
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	8	गांधी वार्ड
		9	कृष्णा वार्ड
		11	अग्रसेन वार्ड
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	5	बागेश्वर वार्ड
7.	महिला वर्ग	6	कस्तुरबा वार्ड
		10	शहीद भगत सिंह वार्ड
		12	शीतला वार्ड
		14	महामाया वार्ड

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप–सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ–1–82/2014/18 (5).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–1–82/2014/18 (5) दिनांक 07–11–2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप–सचिव.

Naya Raipur, the 7th November 2014

NOTIFICATION

No. F-1-82/2014/18(5).— the list of the Reservation of Wards for Municipal Council Aarang, Distt. Raipur is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 mad under

section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Muncipalities Act 1961 (No. 37 of 1961), as follows :-

List of the Reserved Wards

Sl. No.	Reservation for Category	Ward No.	Name of the Wards
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Scheduled Caste	13	Ambedkar Ward
2.	Scheduled Caste (Female)	-	Nil
3.	Scheduled Tribes	-	Nil
4.	Scheduled Tribes (Female)	-	Nil
5.	Other Backward Class	8	Gandhi Ward
		9	Krishna Ward
		11	Agrasen Ward
6.	Other Backward Class (Female)	5	Bageshwar Ward
7.	Female	6	Kasturba Ward
		10	Sheed Bhagat Singh Ward
		12	Sheetla Ward
		14	Mahamaya Ward

By order & in the name of Governor of Chhattisgarh,
JITENDRA SHUKLA, Deputy Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ–1–82/2014/18(6) .— छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29–ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डो का आरक्षण) नियम 1994 के नियम 7 के अपेक्षानुसार नगर पंचायत अभनपुर, जिला–रायपुर के आरक्षित वार्डो की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:–

आरक्षित वार्डो की सूची

क्र.	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया)	वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	4	महंत बजरंग दास वार्ड
		5	गुरू घासीदास वार्ड
		11	मिनीमाता वार्ड

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	12	भीमराव अम्बेडकर वार्ड
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	2	महात्मा गांधी वार्ड
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	--	निरंक
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	9	नारायण राव अम्बिलकर वार्ड
		10	इंदिरा गांधी वार्ड
		14	लाल बहादुर शास्त्री वार्ड
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	3	राम जानकी वार्ड
7.	महिला वर्ग	1	शीतला मंदिर वार्ड
		6	पं. जवाहर लाल नेहरू वार्ड
		8	चन्द्रशेखर आजाद वार्ड

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप–सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ–1–82/2014/18 (6).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–1–82/2014/18 (6) दिनांक 07–11–2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप–सचिव.

Naya Raipur, the 7th November 2014

NOTIFICATION

No. F-1-82/2014/18(6).— the list of the Reservation of Wards for Nagar Panchayat Abhanpur, Distt. Raipur is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 mad under

section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Muncipalities Act 1961 (No. 37 of 1961), as follows :-

List of the Reserved Wards

Sl. No.	Reservation for Category	Ward No.	Name of the Wards
1.	Scheduled Caste	4	Mahant Bajrang Das Ward
		5	Guru Ghasidas Ward
		11	Minimata Ward
2.	Scheduled Caste (Female)	12	Bhimrao Ambedkar Ward
3.	Scheduled Tribes	2	Mahatma Gandhi Ward
4.	Scheduled Tribes (Female)	-	Nil
5.	Other Backward Class	9	Narayan Rao Ambilkar Ward
		10	Indira Gandhi Ward
		14	Lal Bahadur Shastri Ward
6.	Other Backward Class (Female)	3	Ram Janki Ward
7.	Female	1	Sheetla Mandir Ward
		6	Pt. Jawahar Lal Nehru Ward
		8	Chandrashekhar Azad Ward

By order & in the name of Governor of Chhattisgarh,
JITENDRA SHUKLA, Deputy Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ–1–82/2014/18 (7).— छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29–ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम 1994 के नियम 7 के अपेक्षानुसार नगर पंचायत माना कैम्प, जिला–रायपुर के आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:–

आरक्षित वार्डो की सूची

क्र.	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया)	वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	14	मदर टेरेसा वार्ड
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	—	निरंक

(1)	(2)	(3)	(4)
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	1	डॉ. भीमराव अम्बेडकर वार्ड
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	—	निरंक
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	6	शहीद भगत सिंह वार्ड
		7	राष्ट्र कवि मैथिलीशरण गुप्त वार्ड
		9	शिव शीतला वार्ड
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	15	राधा कृष्णा वार्ड
7.	महिला वर्ग	3	काली माता वार्ड
		4	श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड
		8	स्वामी विवेकानंद वार्ड
		13	शीतला माता वार्ड

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप–सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ–1–82/2014/18 (7).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–1–82/2014/18 (7) दिनांक 07–11–2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप–सचिव.

Naya Raipur, the 7th November 2014

NOTIFICATION

No. F-1-82/2014/18(7).— the list of the Reservation of Wards for Nagar Panchayat Mana- Camp, Distt. Raipur is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 mad under

section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Muncipalities Act 1961 (No. 37 of 1961), as follows :-

List of the Reserved Wards

Sl. No.	Reservation for Category	Ward No.	Name of the Wards
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Scheduled Caste	14	Mother Terasa Ward
2.	Scheduled Caste (Female)	-	Nil
3.	Scheduled Tribes	1	Dr. Bheemrao Ambedkar Ward
4.	Scheduled Tribes (Female)	-	Nil
5.	Other Backward Class	6	Shheed Bhagat Singh Ward
		7	Rashtra Kavi Maithilisharan Gupt Ward
		9	Shiv Sheetla Ward
6.	Other Backward Class (Female)	15	Radha Krishna Ward
7.	Female	3	Kali Mata Ward
		4	Shyama Prasad Mukherjee Ward
		8	Swami Vivekanand Ward
		13	Sheetla Mata Ward

By order & in the name of Governor of Chhattisgarh,
JITENDRA SHUKLA, Deputy Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ–1–82/2014/18(8).— छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29–ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डो का आरक्षण) नियम 1994 के नियम 7 के अपेक्षानुसार नगर पंचायत खरोरा, जिला–रायपुर के आरक्षित वार्डो की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:–

आरक्षित वार्डो की सूची

क्र.	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया)	वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
(1)	(2)	(4)	(5)
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	1	राजीव नगर वार्ड
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	2	बाबा घासीदास वार्ड

(1)	(2)	(4)	(5)
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	4	वीर नारायण सिंह वार्ड
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	–	निरंक
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	5	महामाया वार्ड
		8	पं. दीनदयाल उपाध्याय वार्ड
		12	मौलाना अब्दुल कलाम वार्ड
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	9	नेताजी सुभाष चन्द्र बोस वार्ड
7.	महिला वर्ग	3	करियादामा वार्ड
		6	शीतला वार्ड
		10	छत्रपति शिवाजी वार्ड

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप–सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ -1–82/2014/18 (8).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–1–82/2014/18 (8) दिनांक 07–11–2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप–सचिव.

Naya Raipur, the 7th November 2014

NOTIFICATION

No. F-1-82/2014/18(8).— the list of the Reservation of Wards for Nagar Panchayat Kharora, Distt. Raipur is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 mad under section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Muncipalities Act 1961 (No. 37 of 1961), as follows :-

List of the Reserved Wards

Sl. No.	Reservation for Category	Ward No.	Name of the Wards
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Scheduled Caste	1	Rajeev Nagar Ward

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	Scheduled Caste (Female)	2	Baba Ghasidas Ward
3.	Scheduled Tribes	4	Veer Narayan Singh Ward
4.	Scheduled Tribes (Female)	-	Nil
5.	Other Backward Class	5	Mahamaya Ward
		8	Pt. Deendayal Upadhyay Ward
		12	Moulana Abdul Kalam Ward
6.	Other Backward Class (Female)	9	Netaji Subhash Chandra Bose Ward
7.	Female	3	Kariyadama Ward
		6	Sheetla Ward
		10	Chhatrapati Shivaji Ward

By order & in the name of Governor of Chhattisgarh,
JITENDRA SHUKLA, Deputy Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ–1–82/2014/18 (9).— छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29–ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डो का आरक्षण) नियम 1994 के नियम 7 के अपेक्षानुसार नगर पंचायत कुंरा, जिला–रायपुर के आरक्षित वार्डो की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :—

आरक्षित वार्डो की सूची

क्र.	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया)	वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	8	डॉ. भीमराव अम्बेडकर वार्ड
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	13	सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	—	निरंक
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	—	निरंक
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	2	डॉ. खूबचंद बघेल वार्ड
		4	शहीद भगत सिंह वार्ड
		5	छत्रपति शिवाजी वार्ड

(1)	(2)	(3)	(4)
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	3	चन्द्रशेखर आजाद वार्ड
7.	महिला वर्ग	7	पं. जवाहर लाल नेहरू वार्ड
		12	विनोबा भावे वार्ड
		15	रानी लक्ष्मी बाई वार्ड

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप-सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ-1-82/2014/18 (9).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-1-82/2014/18 (9) दिनांक 07-11-2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप-सचिव.

Naya Raipur, the 7th November 2014

NOTIFICATION

No. F-1-82/2014/18(9).—the list of the Reservation of Wards for Nagar Panchayat Kunra, Distt. Raipur is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 mad under section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Muncipalities Act 1961 (No. 37 of 1961), as follows :-

List of the Reserved Wards

Sl. No.	Reservation for Category	Ward No.	Name of the Wards
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Scheduled Caste	8	Dr. Bheemrao Ambedkar Ward
2.	Scheduled Caste (Female)	13	Sardar Vallabh Bhai Patel Ward
3.	Scheduled Tribes	-	Nil
4.	Scheduled Tribes (Female)	-	Nil

(1)	(2)	(3)	(4)
5.	Other Backward Class	2	Dr. Khoobchand Baghel Ward
		4	Shheed Bhagat Singh Ward
		5	Chhatrapati Shivaji Ward
6.	Other Backward Class (Female)	3	Chandrashekar Azad Ward
7.	Female	7	Pt. Jawahar Lal Nehru Ward
		12	Vinoba Bhave Ward
		15	Rani Laxmi Bai Ward

By order & in the name of Governor of Chhattisgarh,
JITENDRA SHUKLA, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2014.